

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 336]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 9 अगस्त 2016—श्रावण 18, शक 1938

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 अगस्त 2016

क्र. एफ 1-1-2016-बाईस-पं.-2.—मध्यप्रदेश पंचायत अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2008 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 53 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार "मध्यप्रदेश राजपत्र" दिनांक 6 जनवरी 2016 में पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके हैं, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में.—

1. (1) अनुसूची-एक में, अनुक्रमांक 3 में, कॉलम (4) में, शब्द "मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत" के स्थान पर, शब्द "मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत" स्थापित किया जाए;
2. यह संशोधन राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

No. F. 1-1-2016-XXII-P-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with sub-section (2) of Section 70 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhinyam, 1993 (No. 1 of 1994), the State Government, hereby makes the following amendment in Madhya Pradesh Adhyapak Samvarg (Employment and conditions of Services) Rules, 2008 the same having been previously published in "Madhya Pradesh Gazette", dated 6<sup>th</sup> January 2016 as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Adhinyam, namely :—

#### AMENDMENTS

1. In the said rules, in Schedule-I, in serial number 3, in column (4), for the words "Chief Executive Officer, Janpad Panchayat" the words "Chief Executive Officer, Zila Panchayat" shall be substituted.
2. This amendment shall come into force from the date of publication of this notification in the "Official Gazette".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ब्रजेश कुमार, अपर सचिव.